



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन
(अग्रणी महाविद्यालय-जिला उज्जैन)
(राष्ट्रीय स्तर पर नेक "A" ग्रेड प्राप्त)

कार्यालय सचिव जनभागीदारी समिति एवं प्राचार्य, शासकीय कालिदास कन्या अग्रणी महाविद्यालय, उज्जैन
जनभागीदारी समिति अंतर्गत स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रण

अकादमिक सत्र 2026-27 में महाविद्यालय में स्व-वित्तीय योजनान्तर्गत संचालित एम.कॉम पाठ्यक्रम में व्याख्यान हेतु अतिथि विद्वानों से आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के 21 दिवस की अवधि में आमंत्रित किए जाते हैं। अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया तथा अर्हता मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ1/1/201 / 2023/ 38-1 भोपाल दिनांक 05-10-2023 के नियमों के अनुरूप की जाएगी।

विषय	पद संख्या	मानदेय प्रतिमाह
वाणिज्य	01	25000=00

योग्यता एवं शर्तें:-

1. चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ1/1/201/2023/ 38-1 भोपाल दिनांक 05-10-2023 के नियमों के अनुरूप की जाएगी।
2. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार आवेदन प्राप्त न होने पर संबंधित विषय/सह विषय में न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को हिन्दी माध्यम के साथ ही अंग्रेजी माध्यम से व्याख्यान कार्य किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त आमंत्रण व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी।
4. अपूर्ण एवं समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को विज्ञापित आवेदन व्यवस्था में कटौती करने तथा चयन प्रक्रिया निरस्त करने एवं मानदेय पुनरीक्षण का समस्त वैधानिक अधिकार है।
6. यदि जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के लिए शासन स्तर से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो यह विज्ञप्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. आवेदक अपना आवेदन महाविद्यालय के पते पर निर्धारित तिथि से पूर्व भेजे अथवा निर्धारित तिथि को सांय 05:00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर जमा करेगा, ऐसे आवेदन पत्र चयन हेतु स्वीकार किये जायेंगे।
8. यह आमंत्रण पूर्णतः अस्थायी होकर शासकीय प्रक्रिया का भाग नहीं होगा एवं महाविद्यालय की स्थापना का अंग नहीं माना जावेगा एवं पूर्णतः महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति उज्जैन के अधीन होगा। आवेदक इसी शर्त पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
9. आवश्यकता न होने पर बिना सूचना के आपका आमंत्रण समाप्त किया जा सकेगा।
10. अतिथि विद्वान के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, विवरणों के लिये ये स्वयं उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की विपरीत, असत्य प्राप्त होने पर अथवा स्थायीकर्म द्वारा कदाचरण/अनुशासनहीनता एवं निष्ठा में कमी पाई जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही या सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

(डॉ. वंदना गुप्ता)

प्राचार्य

शा. कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन